

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

संयुक्त जिला कार्यालय भवन, प्रथम तल कक्ष क्रमांक 83, गरियाबंद

Email ID - deogariaband@gmail.com

फोन:- 07706-241566

// आदेश //

क्र./291/स्था.एल.बी./पदोन्नति/काउ.निर्देश/2023/

गरियाबंद, दिनांक 18/01/2023

छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर कं./एफ 2-86/2021/20-दो नवा रायपुर दिनांक 06.01.2022 के द्वारा सहा.शिक्षक (एल.बी.) टी. संवर्ग से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति किये जाने के अनुक्रम में विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णय उपरान्त वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पात्र पाये गये सहा.शिक्षक (एल.बी.) ई संवर्ग एवं टी. संवर्ग को अस्थायी रूप से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नत किया जाता है। पदांकन काउंसिलिंग प्रक्रिया से किया जावेगा। जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद द्वारा आदेश क्रमांक/ 4483 दिनांक 31.10.2022 क्रमशः 4485 दिनांक 31.10.2022 जारी किया गया था।


उपरोक्त आदेश में आवश्यक संशोधन हेतु विभागीय पुनरीक्षित पदोन्नति समिति (Revised D.P.C.) किया गया, जिसके निर्णय उपरांत सहा.शिक्षक एल.बी. से प्रधान पाठक प्रा.शाला के पद पर पदोन्नति हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कार्यालयीन आदेश क्रमांक 244 एवं 246 दिनांक 17.01.2023 के द्वारा संशोधित पदोन्नति आदेश जारी किया गया है।

संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर के पत्र क्र./पदोन्नति/2022/262 नया रायपुर, दिनांक 07.02.2022 एवं छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 2-96/2022/20-दो नवा रायपुर, दिनांक 07.11.2022 के परिपालन में जिला स्तर के रिक्त पद के अनुपात में सहायक शिक्षक (एल.बी.) से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पदोन्नति हेतु काउंसिलिंग संबंधी दिशा-निर्देश जारी किया गया है। काउंसिलिंग की तिथि व स्थान निम्नांकित है:-


क्र.	दिनांक	विकास खण्ड का नाम	स्थान	समय
1	20.01.2023	देवभोग	शा0उ0मा0वि0 देवभोग	10.00 बजे से
2	21.01.2023	फिंगेश्वर	ठा0द0उ0मा0वि0 फिंगेश्वर	10.00 बजे से
3	23.01.2023	मैनपुर	शा0उ0मा0वि0 मैनपुर	10.00 बजे से
4	24.01.2023	छुरा	शा0उ0मा0वि0 छुरा	10.00 बजे से
5	25.01.2023	गरियाबंद	स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूल (बा0उ0मा0वि0 गरियाबंद)	10.00 बजे से

निम्नांकित शर्तों के अधीन काउंसिलिंग प्रक्रिया की जावेगी :-

- काउंसिलिंग जिला स्तरीय वरिष्ठता क्रम (महिला दिव्यांग/पुरुष दिव्यांग/महिला/पुरुष में होगा। काउंसिलिंग विकास खंड स्तर पर किया जावेगा। उस विकास खंड में पदोन्नति पदस्थापना हेतु रिक्त पद पर किया जावेगा। यदि उस विकास खंड में रिक्त पद की पूर्ति हो जाने पर अन्य निकट के स्थान पर पदस्थापना का चयन किया जा सकता है।
- पदोन्नति हेतु पात्र सहायक शिक्षक (एल.बी.) यदि किसी भी काउंसिलिंग में शामिल नहीं हुए अथवा किसी प्रकार की सूचना समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो काउंसिलिंग समिति काउंसिलिंग पूर्ण होने के पश्चात जिला स्तर पर शेष बचे रिक्त पदों पर पदस्थापना किया जावेगा।
- काउंसिलिंग कक्ष में कम्प्यूटर का प्रदर्शित किये जाने वाले रिक्त स्थान का चयन करने के लिये 02/03 मिनट का समय दिया जावेगा।




4. विकास खंड स्तरीय काउंसिलिंग में निर्धारित तिथि समय पर काउंसिलिंग स्थल पर उपस्थित होंगे। यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी निर्धारित समय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो काउंसिलिंग में नियत क्रम में शामिल होने का अवसर दिया जावेगा।
5. काउंसिलिंग स्थल पर संबंधित कर्मचारी को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
6. काउंसिलिंग कक्ष में मोबाईल लेकर आना वर्जित होगा।
7. सहा. शिक्षक एल.बी. जो दिव्यांग है, प्रमाण पत्र साथ लावे।
8. जिला स्तरीय पदोन्नत छानबीन समिति द्वारा प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नत सहायक शिक्षक (एल.बी.) की सूची जारी किया गया है। तदनुसार काउंसिलिंग हेतु तिथि जारी की जा रही है। विकास खंड शिक्षा अधिकारी सूची एवं निर्देशों को अपने विकास खण्ड के सूचना पटल पर चस्पा करें एवं अपने विकास खण्ड के पात्र सहायक शिक्षक (एल.बी.) को काउंसिलिंग में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।


 (डी०एस०चौहान) 18/1/23
 जिला शिक्षा अधिकारी
 गरियाबंद(छ.ग.)

पू. क्र./292/स्था.एल.बी./पदोन्नति/काउ.निर्देश/2023/
 प्रतिलिपि,

गरियाबंद, दिनांक 18/01/2023

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर जिला गरियाबंद (छ०ग०) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवभोग/फिंगेश्वर/मैनपुर/छुरा/गरियाबंद को सूचनार्थ कृपया आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
5. एस.डी.ओ. (पी.)/स्थानीय टी.आई. को सूचनार्थ उक्त काउंसिलिंग स्थल में कृपया सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।
6. तहसीलदार देवभोग/फिंगेश्वर/मैनपुर/छुरा/गरियाबंद को सूचनार्थ उक्त काउंसिलिंग हेतु कृपया आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
7. सर्व संबंधित विकास खंड शिक्षा अधिकारी देवभोग/फिंगेश्वर/मैनपुर/छुरा/गरियाबंद को सूचनार्थ आप संबंधित स.शि.एल.बी. को सूचित करें। उक्त काउंसिलिंग दिवस एवं निर्धारित समय के पूर्व व्यवस्था का निरीक्षण करे एवं उक्त तिथि में उपस्थिति सुनिश्चित करें।
8. सर्व संबंधित प्राचार्य, शा० उ० मा० वि० देवभोग/ ठा० द० उ० मा० वि० फिंगेश्वर/ उ० मा० वि० मैनपुर/ उ० मा० वि० छुरा/ बा० उ० मा० वि० गरियाबंद जिला गरियाबंद को सूचनार्थ काउंसिलिंग हेतु समुचित बैठक व्यवस्था, पेयजल, माईक एवं साउण्ड सिस्टम, कम्प्युटर सेट्स प्रोजेक्टर सेट्स अच्छी चालू हालत में हो, इत्यादि की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।
9. सर्व संबंधित सहायक शिक्षक (एल.बी.) देवभोग/फिंगेश्वर/मैनपुर/छुरा/गरियाबंद जिला गरियाबंद को सूचनार्थ।


 जिला शिक्षा अधिकारी 18/1/23
 गरियाबंद(छ.ग.)